तानसेन का मकबरा

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश [उच्च न्यायालय](#) ने **ग्वालियर** स्थति **हज़रत शेख मोहम्मद गौस** की **मज़ार** पर **धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ** संचालित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका को **खारिज** कर दिया तथा स्मारक के **संरक्षण** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- **सम्राट अकबर** के दरबार के **महान संगीतकार तानसेन** की **कब्र** इसी स्मारक परसिर में स्थति है।

मुख्य बिंदु

- **उच्च न्यायालय की टिप्पणी:**
  - **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** ने पुनः स्पष्ट किया कि **तानसेन** तथा **हज़रत शेख मोहम्मद गौस** (एक **श्रद्धेय सूफी संत**) का **मकबरा**, प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत **राष्ट्रीय महत्त्व का संरक्षित स्मारक** है।
  - न्यायालय ने इस बात पर **ज़ोर** दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) तथा **ज़िला प्रशासन** इस स्थल की **अखंडता बनाए रखने** के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **मकबरे के बारे में:**

  - इस **मकबरे** का निर्माण **सूफी संत शेख मोहम्मद गौस** की मृत्यु के बाद किया गया था तथा यह **सम्राट अकबर** के शासनकाल (1556–1605)

के **सबसे उल्लेखनीय स्मारकों** में से एक है।

- इस मकबरे में कई ऐसी विशेषताएँ समाहित हैं, जो बाद की **मुगल वास्तुकला**, विशेषकर **पूर्वी भारत** में, सामान्य रूप से अपनाई गईं।
  - इसका ढाँचा **वर्गाकार** है, जिसमें एक **बड़ा और चपटा गुंबद** तथा दोनों ओर **छतरियाँ** हैं, जो इसे बहुस्तरीय रूप प्रदान करती हैं।
  - **केंद्रीय कक्ष** के चारों ओर एक **बरामदा** है, जो **बारीक नक्काशीदार पत्थर की जालियों** से सुसज्जित है, जो **गुजरात की स्थापत्य शैली** से प्रभावित है।
- इस मकबरे की रूपरेखा ने बाद की मुगलकालीन संरचनाओं को भी प्रभावित किया, जिनमें **फतेहपुर सीकरी** स्थित प्रसिद्ध **शेख सलीम चिश्ती का मकबरा** भी शामिल है।

- **तानसेन के बारे में:**
  - तानसेन का **जन्म लगभग 1500 ई. में ग्वालियर**, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में वे **उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत** के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए।
  - सूफी परंपरा के अनुसार, तानसेन **शेख मोहम्मद गौस** के शिष्य थे।
  - उन्हें उनकी **ध्रुपद रचनाओं** और **रागों पर अद्वितीय अधिकार** के लिये ख्यातिप्राप्त हुई, जो ऐसे **संगीतात्मक ढाँचे** होते हैं जिन्हें **विशिष्ट भावनाओं या प्रकृति के तत्त्वों** को उद्बोधित करने हेतु रचा गया है।
    - किंवदंतियों के अनुसार, उनकी गायन-शैली में **चमत्कारी प्रभाव** था, जैसे **जंगली जानवरों को शांत करना**, **पक्षियों और शेरों जैसी ध्वनियों की नकल करना**, यहाँ तक कि **दिन के समय को बदल देना**।
  - तानसेन ने **मुगल सम्राट अकबर** के दरबार में स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने **कलात्मक प्रतिभा** को अत्यंत महत्त्व दिया और उस युग के कई **प्रख्यात विद्वानों तथा कलाकारों** को संरक्षण प्रदान किया।
    - वे अकबर के दरबार के **नवरत्नों** अर्थात् **"नौ रत्नों"** में से एक थे।
    - उनकी **असाधारण संगीत प्रतिभा** की सराहना करते हुए, अकबर ने उन्हें **"मियाँ"** की **उपाधि** प्रदान की, जिसका अर्थ होता है—**"गुरु"** या **"श्रेष्ठ पुरुष"**।
  - **तानसेन** की मृत्यु वर्ष **1586** या **1589** के आसपास हुई तथा उन्हें **ग्वालियर** में **दफनाया गया**।

पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958

- इस अधिनियम का उद्देश्य आगामी पीढ़ियों के लिये प्राचीन संस्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करना है।
  - यह अधिनियम **सार्वजनिक अथवा निजी स्वामित्व वाली 100 वर्ष से अधिक पुराने संस्मारकों** पर लागू होता है।
- इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की मंज़ूरी के बिना **प्राचीन स्मारकों के समीप निर्माण अथवा कोई परिवर्तन करना प्रतिबंधित** है।
  - **AMASR अधिनियम के तहत स्थापित NMA** संस्मारकों और स्थलों (केंद्रीय रूप से नामित संस्मारकों के समीप प्रतिबंधित/प्रतिबंधित क्षेत्रों) के रखरखाव तथा संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार है।
  - NMA, AMASR अधिनियम को कार्यान्वित करने और संरक्षित तथा विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण अथवा विकासात्मक गतिविधि के लिये अनुमति देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **संरक्षित क्षेत्र स्मारक के चारों ओर 100 मीटर** की **परिधि** है, जिसके बाहर 200 मीटर तक एक विनियमित क्षेत्र है।
  - वर्तमान प्रतिबंध संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर की **परिधि** में निर्माण पर रोक लगाते हैं और साथ ही अतिरिक्त 200 मीटर के दायरे में परमिट हेतु कठोर नियम हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tomb-of-tansen